International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

सूचना के अधिकार का वर्तमान स्वरूप

SUMIT KUMAR
M.Phil, UGC -NET (Political Science)
M.D.U. Rohtak (HR.)

शोध–आलेख सारः लोकतंत्र में देश की जनता अपने द्वारा चुने हुए व्यक्ति का शासन करने का अवसर प्रदान करती है और जनता अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्त्तव्यानिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करेगी। लेकिन कालान्तर में अधिकांश राष्ट्रों ने अपने दायित्वों का गला घोटते हुए पारदर्शिता और ईमानदारी की बोटियां नोचने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भ्रष्टाचार के बड़े–बड़े कीर्तिमान कायम करने को एक भी मौका अपने हाथ से गवानां नहीं भूले। सरकारें भूल जाती है कि जनता ने उन्हें चुना है और जनता ही देश की असली मालिक है एवं सरकार उनकी चुनी हुई नौकर। इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि जो सरकारें उनकी सेवा में हैं, वह क्यो कार्य कर रही है? परन्तु वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता व महत्व कम क्यों होता जा रहा है, इन पर हम चर्चा करेगें?

मूलशब्दः लोकतंत्र, जनता, पारदर्शिता, प्रशासन, सरकार, सूचना का अधिकार।

मुख्य बिंदुः

– सूचना का क्या अर्थ है?
– सूचना अधिकार का क्या अर्थ है?
– सूचना अधिकार से पहले बने अधिनियमों का वर्तमान में महत्व।
– सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया।
– कौन सी सूचनाऐ बताने के लिए नहीं है।
– भारत में सूचना अधिकार का लागू होना।

सूचना का अर्थः

सूचना का अर्थ, रिकार्डों, दस्तावेजों, ज्ञापनों, ई–मेल, विचार, सलाह, प्रैस विज्ञप्तियां, परिपत्रा, आदेश, लॉग पुस्तिकाऐं, ठेके, टिप्पणियां , पत्र, उदाहरण आदि कोई भी सामग्री

जो किसी रूप में उपलब्ध हो। साथ ही वह सूचना जो किसी भी निजी निकाय से सम्बन्धित हो।

सूचना अधिकार का क्या अर्थ है:

– कार्यों, दस्तावेजों, रिकार्डों का निरीक्षण।

–. दस्तावेजों या रिकार्डों की प्रस्तावना, नोट्स व प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना।

– प्रिंट आऊट, डिस्क, ýलॉपी, टेप, वीडियो कैसेट इत्यादि के रूप में या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक रूप में जानकारी प्राप्त करना।

सूचना अधिकार से पहले बने अधिनियमों का वर्तमान में बने रहना:

भारत में सरकारी सूचना को जनता के सामने सार्वजनिक करने पर विभिन्न कानून और नियम प्रतिबन्ध लगाते हैं और इस प्रकार प्रशासन में गोपनीयता की हिमायत करते हैं:–

1. सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923
2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872
3. जाँच आयोग अधिनियम 1952
4. अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1954
5. केन्द्रीय लोक सेवा (आचरण सम्बन्धी नियम) 1955
6. रेलवे सेवा (आचरण सम्बन्धी) नियम 1956

उपर्युक्त नियमों व अधिनियमों का हवाला देते हुए जनता से इस अधिकार को वंचित होते देखा जाता है। इन नियमों को अब तक बना व प्रचलन में रहना सूचना के अधिकार पर भी प्रतिबंध लगाते हैं।

भारत में सूचना अधिकार का लागू होना–

सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। लेकिन संविधान निर्माताओं ने संविधान में इसका कोई भी वर्णन नहीं किया और न ही अंग्रेजों का बनाया हुआ गोपनीयत शासकीय अधिनियम 1923 का संशोधन किया। आने वाली सरकारों ने गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 5 व 6 के प्रावधानों का लाभ उठाकर जनता से सूचनाओं को छुपाती रही।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

सूचना के अधिकार के प्रति कुछ सजगता वर्ष 1975 के शुरूआत में ''उत्तरप्रदेश सरकार बनाम राजनारायण'' से हुई।

मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय से हुई जिसमें न्यायालय ने अपने आदेश में लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों का ब्यौरा जनता को प्रदान करने की व्यवस्था की। इस निर्णय ने नागरिकों को भारतीय संधिान के अनुच्छेद 19ए के तहत अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का दायरा बनाकर सूचना के अधिकार को शामिल कर दिया।

वर्ष 1982 में द्वितीय प्रेस आयोग ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 की विवादास्पद धारा 5 को निरस्त करने की सिफारिश की थी। क्योंकि इसमें कभी भी परिभाषित नहीं किया गया था कि गुप्त क्या है और शासकीय गुप्त बात क्या है?

इसलिए परिभाषा के आभाव में यह सरकार के निर्णय पर निर्भर था कि कौन सी बात को गोपनीय माना जाए और किस बात को सार्वजनिक किया जाए।

बाद के वर्षों में वर्ष 2005 में वीरप्पा मोईली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने इस कानून को निरस्त करने की सिफारिश की।

सूचना के अधिकार की मांग राजस्थान से प्रारम्भ हुई। राज्य में सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक में जन आन्दोलन की शुरूआत हुई। जिसमें मजदूर किसान संगठन द्वारा अरूणाराय की अगुवाई में भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम के रूप में हुई।

वर्ष 1997 में केन्द्र सरकार ने एच.डी. शौरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करके मई 1997 में सूचना की स्वतंत्रता का प्रारूप प्रस्तुत किया, किन्तु शौरी कमेटी ने इस प्रारूप को संयुक्त मोर्चे की दो सरकारों ने दबाए रखा।

वर्ष 2002 में संसद में ''सूचना की स्वतंत्रता विधेयक'' पारित किया। इसे जनवरी 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। लेकिन इसकी नियमावली बनाने के नाम पर इसे लागू नहीं किया गया।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए अपने वादों युक्त पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया। जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अन्ततः 12 अक्तूबर 2005 को यह कानून

जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। इसी के साथ सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2002 को निरस्त किया गया।

सूचना का अधिकार 2005 पारित कर भारत उन 55 देशों में शामिलहो गया है। जिन्होंने व्यापक सूचना के अधिनियम पारित कर नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षण के प्रावधान किए है। स्वीडन पहला देश है जिसने सन 1766 में अपने नागरिकों की स्वतंत्रता प्रदान की।

फिनलैंड	1951
डेनमार्क व नार्वे	1970
संयुक्त राज्य अमेरिका	1966

1970 के दशक में आस्ट्रिया, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देशों में ऐसी विधियां अस्तित्व में आई। जबकि अस्ट्रेलिया कनाडा तथा न्यूजीलैंड ने 1982–83 के वर्षों में सूचना की स्वतंत्रता से सम्बन्धित विधियों का निर्माण किया।

आयरलैंड ने 1997 में बुलगारिया ने जून 2000 में अधिनियम पारित कर सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार पारित कर सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार को अमली जामा पहनाया। दक्षिणी अफ्रीका में सूचना प्राप्त करना नागरिक का संवैधानिक अधिकार है जिसे सन 2000 में अधिनियम पारित कर अधिक सार्थक एवं प्रभावी बनाया गया।

इस कानून के राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पूर्व व राज्यों ने पहले से ही लागू कर रखा था जिनके नाम अग्रलिखित हैं।

राज्य	लागू वर्ष
तमिलनाडू	1997
गोवा	1997
कर्नाटक	2000
दिल्ली	2001
असम	2002
मध्यप्रदेश	2002
राजस्थान	2002
महाराष्ट्र	2002

जम्मू कश्मीर 2004

सूचना अधिकार के अन्तर्गत कौन नहीं आते हैं?

केन्द्रीय सतर्कता और सुरक्षा जैसे आई.बी., रॉ, राजस्व सतर्कता निदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, विशेष शाखा (सी.आई.डी.) आदि। राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट एजेंसियों को भी छोड़ दिया गया है।

इस अधिनियम से इन संगठनों को छूट दे दिए जाने के बावजूद इन संगठनों को घूस और मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित आरोपों के बारे में सूचना केन्द्र या राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के बाद दिया जा सकता है।

सूचना प्राप्त करने के एिल आवेदन की प्रक्रिया –

जनसूचना अधिकारी के पास जरूरी सूचना के लिए लिखित रूप में या ई–मेल माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। अपना आवेदन अंग्रेजी, हिन्दी या सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा में भरकर करें।

मांगी गई सूचना के लिए कारण बताना आवश्यक नहीं है।

राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें। (गरीबी रेखा के नीचे आने वाले वर्ग के लोगों को शुल्क नहीं जमा करना है।)

कौन सी सूचना बताने के लिए नहीं है–

निम्नलिखित सूचनाओं को आम जनता को उपलब्ध करवाने की मनाही हैः–

1. ऐसी सूचना प्रदर्शन जिससे भारत की स्वतन्त्रता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, कार्य योजना, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशों से सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हों या अपराध के लिए उतेजित करता हो।
2. सूचना जिसे किसी भी न्यायालय या खण्डपीठ द्वारा प्रकाशित किये जाने से रोका गया है या जिसके प्रदर्शन से न्यायालय का उल्लंघन हो सकता है।
3. सूचना जिसके प्रदर्शन से संसद या राज्य विधानसभा के विशेषाधिकार प्रभावित होते हों।
4. वाणिज्यिक गोपनीयता, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा से सम्बन्धित सूचना, जिसके प्रशासन से तीसरे पक्ष के प्रतिस्पर्धात्मक स्तर को क्षति पहुंचने की संभावना हो

जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना का प्रकाशन जनहित में हैं।

5. ऐसी सूचना जो विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त की गई हो।
6. सूचना जिसके प्रदर्शन से किसी व्यक्ति की जिन्दगी या शारीरिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विश्वास में दी गई सुचना या सहायता।
7. सूचना जिससे अपराधी की जांच करने या उसे हिरासत में लेने या उस पर मुक्द्दमा चलाने में बाधा उत्पन्न हो सकती हो।
8. मंत्रीपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श से सम्बन्धित मंत्रीमंडल के दस्तावेज।
9. ऐसी सूचना जो किसी व्यक्ति के निजी जिन्दगी से सम्बन्धित हो। उसका सम्बन्ध किसी नागरिक हित से नहीं हो और उसके प्रकाशन से किसी व्यक्ति के निजी जिन्दगी की गोपनीयता भंग होती हो।

उपर्युक्त बातों से परे सूचना को लोकसूचना अधिकारी सुलभ करवाने की इजाजत दे सकते हैं।

निष्कर्ष : सूचना का अधिकार कानून से आज विश्व के 80 से अधिक देशों की शोभा बढा रहा है, जिन देशों ने सूचना के अधिकार को महता दी है, बेशक उनमें से स्वीडन को भुलाया नहीं जा सकता। स्वतः सूचना जारी करने का निर्देश तो भारत की सरकार ने भी दिया है, लेकिन किसी भी राज्य और केन्द्र के विभाग ने इसकी कोई पहल नहीं की है। स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री, डॉ0 मनमोहन सिंह ने इस कानून के दायरे को कम करने की और गोपनीयता बढाने की वकालत की है। भारत में इसकी स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि स्वयं सरकार ही इस कानून को लेकर गंभीर नजर नहीं आती। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आर.टी.आई किसी को खाने को नहीं देता। ऐसे ब्यानों से सरकार की मंशा जगजाहिर हो चुकी है। अतः आज सूचना के अधिकार की वर्तमान दोषों को दूर करके वास्तविक रूप में जनादेश को शासन की नीतियों को जानने व समझाने के दृष्टिकोण में बदलाव लाने की आवश्यकता है और यह आवश्यकता पहले जमीनी स्तर पर तलाशनी होगी।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

सन्दर्भ:

लोक प्रशासन (बी.एल.फाड़िया) पृ0 सं0 1030, 31, 32, 35.

लोक प्रशासन (एम. लक्ष्मीकांत) पृ0 सं0 5.25.

लोक प्रशासन (डॉ0 महेश्वरी).

पत्र–पत्रिकाऐं (साप्ताहिक).